राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक : एफ15(2)ग्रावि/नरेगा/सीएमआरईजीएस/सामान्य/2023–24/09176 जयपुर, दिनांक 18/03/2025

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषय –महत्मा गांधी नरेगा योजनानतर्गत 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (राज्य मद से) अतिरिक्त दिवसों का रोजगार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

प्रसंग –विभागीय पत्र क्रमांक एफ 1(2)/ग्रावि/नरेगा/गाईडलाईन/ 2022–23 दिनांक 30.05.2022 एवं एफ 1(2)/ग्रावि/ नरेगा/नीतिगत दस्तावेज / 22–23/6569 दिनांक 01.03.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना व संकल्प पत्र/ नीतिगत दस्तावेज में सम्मिलित बिन्दु (राज्य के एसटी बाहुल्य 47 ब्लॉक के महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस पूर्ण परिवारों को 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार) की क्रियान्विती के क्रम में उपरोक्त दोनों योजनाओं (घोषणाओं) को समाहित (Merge) कर मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (CMREGS) के संशोधित/नवीन दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :–

1. महात्मा गांधी नरेगा में 100 दिवस, राज्य मद से मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत 25/50 अतिरिक्त रोजगार दिवस प्रदान किये जाने पर अधिकतम रोजगार प्राप्त करने की सीमा निम्नानुसार होगीः–

अ– एसटी बाहुल्य 47 ब्लॉक्स के श्रमिक परिवार – 150 दिवस (संलग्न परिशिष्ट–1)

ब– **एसटी बाहुल्य 47 ब्लॉक्स के श्रमिकों को छोड़कर राज्य के शेष ब्लॉक्स के श्रमिक परिवार – 125 दिवस**

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत अतिरिक्त रोजगार हेतु श्रमिक नियोजन निम्नानुसार किया जाना हैः–

अ– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत/प्रगतिरत/अप्रारम्भ कार्य

ब– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत/प्रगतिरत/अप्रारम्भ कार्यो की अनुपलब्धता की स्थिती में निम्नांकित जनोपयोगी कार्य स्वीकृत किये जाकर श्रम नियोजन किया जा सकता है :–

Signature valid
Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation: Commissioner
Date: 2025.03.18 18:20:33 IST
Reason: Approved

A– सामुदायिक कार्य

RajKaj Ref No.: 14234247

Scanned with CamScanner

1) विद्यालय भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण, अन्य राजकीय भवन निर्माण
2) चारदीवारी निर्माण
3) चारागाह फेन्सिगं
4) स्टॉर्म / ग्रे– वाटर नालों की सफाई
5) नहरों एवं नालियों में डी–सिल्टिंग
6) पंचायत/पंचायत समिति परिसर में सी.सी. ब्लॉक / खरंजा
7) सड़क के किनारे झाडियों की कटिंग एवं पटरी निर्माण
8) पानी की टंकी (जी.एल.आर) निर्माण
9) ग्राम पंचायत द्वारा संचालित या पशुपालन विभाग द्वारा अनुदानित एवं पंजीकृत गौशालाओं हेतु शेड निर्माण वर्मी कम्पोस्ट् पिट निर्माण के कार्य, पशु खेली (चारा एवं पानी) निर्माण कार्य
10) प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या राजकीय विद्यालय में सफाई एवं पोषण वाटिका संबंधी कार्य
11) गॉव में चबूतरा निर्माण कार्य
12) ग्राम पंचायत क्षेत्र की महात्मा् गांधी नरेगा योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में निर्मित ऐसी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों, जो कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत अनुमत नहीं है, के मरम्मत एवं रखरखाव (Repair & Maintenance) के कार्य
13) हेल्पर–हैंडपम्प् मरम्मत कार्य

B– व्यक्तिगत लाभ से सम्बन्धित कार्य :–

1) आवासीय क्षेत्र में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण
2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के अनुमत कार्यो में लघु एवं सीमांत कृषको से सम्बन्धित कार्य

3. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत अतिरिक्त रोजगार दिवसों के सृजन हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत/प्रगतिरत/अप्रारम्भ कार्यो पर श्रमिक नियोजन नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से मस्टररोल जारी कर किया जावे। नियोजित श्रमिकों की मजदूरी दर सम्बन्धित वर्ष में नरेगा हेतु अधिसूचित मजदूरी दर के अनुसार होगी, जिसका भुगतान नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से राज्य मद में किया जायेगा।

4. बिन्दु संख्या 2 (ब) में अंकित कार्यो पर श्रमिक नियोजन किये जाने हेतु पूर्व में संचालित सी.एम.आर.ईजीएस पोर्टल के माध्यम से मस्टररोल जारी किये जाकर सी.एम.आर.ईजीएस पोर्टल से भुगतान किया जावे।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Signature valid
Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation: Commissioner
Date: 2025.03.18 1?:20:33 IST
Reason: Approved

(पुष्पा ...)
आयुक्त, ईजीएस

RajKaj Ref No.: 14234247

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
6. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
8. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त राजस्थान।
10. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
11. प्रोग्रामर ईजीएस को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
12. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.18 1?:20:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14234247

Scanned with CamScanner

List Of 47 ST BlockS in Which Additional Employment 50 Days is to Provided by State Head

S.N.	District	Block
1	BANSWARA	Anandpuri
2		Arathuna
3		Bageedaura
4		Banswara
5		Chhoti Sarvan
6		Gagartalai
7		Garhi
8		Ghatol
9		Kushalgarh
10		Sajjangarh
11		Talwaraa
12	DUNGARPUR	Aspur
13		Bicchiwara
14		Chikhli
15		Dovra
16		Dungarpur
17		Galiyakot
18		Jhonthari
19		Saabla
20		Sagwara
21		Seemalwara
22	PRATAPGARH	Arnod
23		Choti Sadri
24		Dalot
25		Dhamotar
26		Dhariyawad
27		Peepalakhunt
28		Pratapgarh
29		Suhagpura
30	UDAIPUR	Girwa
31		Gogunda
32		Jhadol
33		Khairwara
34		Kotra

Scanned with CamScanner

35		Lasadia
36		Mavli
37		Rishabhdev
38		Salumber
39		Sarada
40		Vallabhnagar
41	SIROHI	Aburoad
42		Pindwara
43	RAJSAMAND	Delwada
44		Khamnor
45		Kumbhalgarh
46	CHITTORGARH	Badisadri
47	PALI	Bali
	TOTAL (8 Districts)	47 (Blocks)

Kaj Ref

Document certified by Shivangi Swarnkar
<shivangiswarnkar.ias@gmail.com>

Digitally Signed by
SHIVANGI SWARNKAR
Designation : Commissioner
Date :28-02-2024 04:24:27

Scanned with CamScanner